न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 11/2023
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 02.01.2023
निर्णय दिनांक : 28.04.2026

अनवान

1– भगवती देवी पत्नि मनोहरलाल जाति टांक निवासी मेहन्दुरिया तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1– मोना पुत्र तेजसिंह जाति महाजन निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा हाल निवासी अहीरन स्टूडियो ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास रोड, एचडीएफसी बैंक के सामने उदयपुर
2– संजय पुत्र तेजसिंह जाति महाजन निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा हाल निवासी अहीरन स्टुडियो ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास रोड, एचडीएफसी बैंक के सामने उदयपुर
3– सोहनलाल पुत्र हजारी जाति टांक निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता– राकेश सनाढ्य
प्रतिवादी अधिवक्ता– अनुपस्थित

–:निर्णय:–

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया है कि यह कि राजस्व ग्राम आंजणा पटवार हल्का गवारडी तहसील क्षेत्र रेलमगरा की वर्तमान जमाबंदी संख्या 829 रकबा 0.3804 हैक्टेयर किस्म आबादी 0.0405 हेक्टेयर व बंझड 0.3399 हेक्टेयर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। यह कि कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में खाता संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता तेजसिंह पिता अम्बालाल जी टांक के नाम पर 23/141 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिससे खातेदार तेजसिंह को रूपयो की आवश्यकता होने से उनके 23/141 हिस्से में से एक प्लॉट पूर्व से पश्चिम 70 फीट,उत्तर से दक्षिण 28 फीट कुल 1960 वर्गफीट भूमि यानि 00–02–05 दो बिस्वा पांच बिस्वान्सी भूमि को वादीया को प्रचलित मुद्रा 4,50,000/–अक्षरे चार लाख पचास हजार रूपये में विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजियन उप पंजीयक कार्यालय रेलमगरा में दिनांक 17/12/2012 को निष्पादित कराया गया तथा विक्रय की कूलिया राशि वादीया ने तेजसिंह पिता अम्बालाल टांक को नकद अदा कर दी। तथा विक्रय भूमि का कब्जा भी वादीया ने उसी समय प्राप्त कर लिया तब से ही वादीया ही उक्त कयशुदा भूमि का उपयोंग उपभोग

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

निरन्तर निर्वघ्न रूप से करती चली आ रही है जिसके पडोस पूर्व में– मेहन्दुरिया फतहनगर सड़क पश्चिम में– गुमान जी भील, उत्तर मे– सोहन जी टांक का व दक्षिण में इसी भुमि का बकाया रकबा। प्रमाण में पंजीकृत विकय पत्र की फोटोप्रति साथ पेश है। यह कि वादीया एक अनपढ महिला है जो विधिक कार्यवाही नही जानती हैं। पंजिकृत विकय पत्र निष्पादित होने के पश्चात् वादीया यही समझती रही कि उक्त भूमि उसके नाम पर दर्ज हो गई होगी। परन्तु वर्तमान में जब वादीया को उक्त भूमि की जमाबंदी की आवश्यकता हुई तब वादीया को जानकारी में आया कि उक्त कयशुदा भूमि वादीया के नाम पर दर्ज नही होकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर दर्ज है। क्योंकि विक्रेत तेजसिंह जी का देहान्त हो चुका है। तथा उनके पीछे उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ही है। जिससे वादीया को जानकारी होते ही वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को उसकी कयशुदा भूमि को अपने नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु कहां तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने साफ इन्कार कर दिया। तथा वादीया को धमकी दी कि उक्त भूमियां उनके नाम पर दर्ज है जिससे उक्त भूमि वादीया से पुनः कब्जा छिनकर उसे किसी अन्य व्यक्ति को रहन,बह,बक्षीश कर देंगे।जिससे वादीया की ओर से उक्त वादपत्र आप न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह कि कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् में 0.0405 हेक्टेयर भूमि किस्म आबादी दर्ज चली आ रही है जो उक्त भूमि आबादी में संपरिवर्तन प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने स्वयं के खर्चे से उसके भाग की करवाई है जिससे प्रतिवादी संख्या 03 को पक्षकार बनाया गाया है अन्यथा प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद कोई दाद नही चाह गई है। तथा वादीया ने आबादी का भाग कय नहीं किया है जिससे वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर उक्त भूमि दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त भूमियों को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बह, बक्षीश, अन्तरण नामान्तरण नही करे एवं वादीया के उपयोंग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप ,दखलन्दाजी कारित नही करे इस हेतु वादीया को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना नितान्त आवश्यक है यह कि वाद हेतुक दिनांक 28/09/2022 को जब वादीया ने जमाबंदी की नकल निकलवाई तब प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से सम्पर्क करने पर उक्त भूमि वादीया के नाम पर दर्ज कराने से इन्कार कर दिया तथा उक्त भूमि किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीश करने की धमकियां दी तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात् मौजा आंजणा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको अभिप्रेत है।

अतः प्रार्थना है कि वादीया का वादपत्र विरूद प्रतिवादी एक व दो स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में स्थित प्रतिवादी संख्या एक व दो कि हिस्से में से वादीया की कयशुदा भूमि 0–02–05 दो बिस्वा पांच बिस्वान्सी भूमि को घोषणा के जरिये वादीया के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री प्रचलित फरमाई जावे। वादीया की कयशुदा भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप ,दखलन्दाजी कारित नही करे, उक्त भूमियों को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बह,बक्षीश नहीं करे उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी से करावें इसहेतू उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें। अन्य समुचित सहायता जो वादीया प्राप्त करने की अधिकारी हो प्रदान कराई जावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस अखबार में जारी किये गये। प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नही आया इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन वक्त साक्ष्य PW-1 भगवतीदेवी पत्नि मनोहरलाल जाति टांक, PW-2 मनोहरलाल पिता चुन्नीलाल टांक के शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रर्दश–01 है।, विक्रयपत्र की फोटो प्रति प्रर्दश–02 ए, है। की नकलें प्रस्तुत कि गयी।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, R.T.A.का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व राजस्व ग्राम आंजणा पटवार हल्का गवारडी आराजी संख्या 829 रकबा 0.3804 हैक्टेयर में वर्णित हिस्सेनुसार प्रतिवादी संख्या एक व दो के हिस्से में से क्रयशुदा भूमि 0–02–05 दो बिस्वा पांच बिस्वान्सी के वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 11 / 2023

अनवान

वादीपक्ष :–

1– भगवती देवी पत्नि मनोहरलाल जाति टांक निवासी मेहन्दुरिया तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1– मोना पुत्र तेजसिंह जाति महाजन निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा हाल निवासी अहीरन स्टूडियो ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास रोड, एचडीएफसी बैंक के सामने उदयपुर

2– संजय पुत्र तेजसिंह जाति महाजन निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा हाल निवासी अहीरन स्टुडियो ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास रोड, एचडीएफसी बैंक के सामने उदयपुर

3– सोहनलाल पुत्र हजारी जाति टांक निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि. 1955

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता राकेश सनाढ्य

मे इस आशय में दिनांक 28.04.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत वाद अन्तर्गत धारा 88, R.T.A.का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आंजणा पटवार हल्का गवारडी आराजी संख्या 829 रकबा 0.3804 हैक्टेयर में वर्णित हिस्सेनुसार प्रतिवादी संख्या एक व दो के हिस्से में से कयशुदा भूमि 0–02–05 दो बिस्वा पांच बिस्वान्सी के वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 28.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा